(60)

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला मुरैना (म. प्र.)

मुरैना, दिनांक ..../......../2017

:: विज्ञप्ति ::

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के
निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2017–18

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि मुरैना जिले की समस्त 44 देशी मदिरा एवं 15 विदेशी मदिरा फुटकर बिक्री की दुकानें जो 18 एकल समूहों में रखी गई है, वर्ष 2017–18 के लिये अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2017 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए निष्पादन प्रथमतः वर्ष 2016–17 के मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र दिनांक 24 जनवरी 2017 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 30 जनवरी 2017 के दोपहर 03:00 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। जिन मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होंगे, उन मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर अन्य इच्छुक सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर आवेदन पत्र दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 08 फरवरी 2017 के दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित किये जावेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों को लॉटरी आवेदन पत्र कहा जायेगा। नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए, समग्र में यदि जिले में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य में निहित राजस्व के 70 प्रतिशत अथवा उससें अधिक राशि के आवेदन प्राप्त होते हैं तो एसी समस्त आवेदित मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन जिले में गठित जिला समिति द्वारा, पात्र आवेदकों के हित में किया जायेगा। वर्ष 2017–18 के लिये नवीनीकरण आवेदन तथा लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रहीं मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2017–18 के निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरूद्ध ई–टेंडर दिनांक 14 फरवरी 2017 प्रातः 10:30 बजे से 22 फरवरी 2017 दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित कर किया जावेगा। निष्पादन प्रक्रिया की कार्यवाही से संबंधित नियमों, विक्रय–ज्ञापन, ड्यूटी की दर तथा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की वर्तमान वर्ष के नौ माह में खपत आदि की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना के कार्यालय से किसी भी दिन **(अवकाश के दिनों सहित)** कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

संलग्नः– विक्रय पत्र वर्ष 2017–18।

वर्ष 2016–17 में संचालित विदेशी मदिरा दुकान रामनगर का नाम परिवर्तन कर आगामी वर्ष 2017–18 हेतु विदेशी मदिरा दुकान बड़ोखर किया गया है।

कलेक्टर,
जिला मुरैना (म. प्र.)

Vigyapti renewal lottary 2017-18